सरयू राय

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

झारखण्ड सरकार

पत्रांक - 2177/मंत्री कोषांग
दिनांक - 12/11/18

माननीय मुख्य (खान) मंत्री,
झारखंड सरकार.

विषयः—झारखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन खनिज परिवहन चालान जारी करने के लिये स्थापित इंटिग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम (जिम्स) से अवैध खनन चालान जारी होने, इसके कारण कोयला एवं अन्य खनिजों का अवैध परिवहन होने तथा इसके लिये दोषियों पर कारवाई नहीं होने की जाँच के संबंध में.

महोदय,

अक्टूबर 2018 की विभिन्न तारीखों को राँची से प्रकाशित होनेवाले दैनिक समाचार पत्रों में उपर्युक्त विषयक कई खबरें प्रकाशित हुई हैं जिनका सार—संक्षेप निम्नवत है :

1. लातेहार जिला के बालूमाथ में जाँच के दौरान कोयला लदे कई ऐसे हाईवा पकड़े गये जिनमें कोयला का परिवहन चालान जाँच की तिथि से एक दिन बाद की तिथि के थे. (05 अक्टूबर, हिन्दुस्तान).

2. चतरा जिला के टंडवा में जाँच के दौरान पाया गया कि कोयला लदे वाहनों के परिवहन चालानों में वाहनों के जो रजिस्ट्रेशन नम्बर दर्ज है वे ट्रक या हाईवा के न होकर मोपेड, मोटरसाईकिल, स्कूटर, थ्री ह्वीलर, कार, बस आदि के हैं. स्पष्ट है कि कोयले की ढुलाई फर्जी वाहनों से हो रही है. इस आशय की एक प्राथमिकी भी चतरा के जिला खान पदाधिकारी ने दायर की है. (28 अक्टूबर, प्रभात खबर/दैनिक भास्कर/हिन्दुस्तान)

3. झारखंड में कोयला खनन और परिवहन व्यवसाय से जुड़े कतिपय व्यवसायियों और संवेदकों के यहाँ छापेमारी हुई तो जानकारी मिली की इन्हें झारखंड के अलग अलग जिलों से अंगरक्षक कई मुहैया कराये गये हैं, भले ही वे रहते बंगाल के रानीगंज सदृश स्थानों पर हैं. एक परिवहनकर्ता को तो झारखंड के अलग—अलग जिलों से कुल 6 अंगरक्षक मिले हैं. (10 अक्टूबर, प्रभात खबर).

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, एजी मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2401023, फैक्स : 0651 2402455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

4. रेलवे के अधिकारियों की साँठगाँठ से कोयला व्यवसायी और परिवहनकर्ता मनचाहे स्थानों पर रेलवे साइडिंग स्थापित कर ले रहे हैं. स्थानीय लोगों की फसलों पर और जीवन पर इसका प्रतिकुल प्रभाव हो रहा है. पर इसका विरोध करनेवाले प्रताडित किये जा रहे हैं. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इसे रोकने में कामयाब नहीं हो रहा है. नतीजन किसानों और ग्रामीणों का प्रतिरोध नक्कारखाने में तूती की आवाज बनकर रह जा रही है. (23 अक्टूबर को लोहरदगा जिला 20 सूत्री समिति की बैठक में प्राप्त शिकायत)

उपर्युक्त कडिकाओं में अंकित घटनाओं से स्पष्ट है कि झारखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन खनिज परिवहन चालान जारी करने के लिये स्थापित इंटिग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम (जिम्स) से अवैध खनन चालान जारी हो रहे हैं. इसके कारण कोयला एवं अन्य खनिजों का अवैध परिवहन हो रहा है. परंतु इसके लिये दोषियों पर कारवाई नहीं हो रही है. ये घटनायें राज्य सरकार के खान विभाग के अधिकारियों, पुलिस–प्रशासन के प्रभावशाली अधिकारियों, सीसीएल के वरीय अधिकारियों और परिवहनकर्ता गिरोहों की सक्रिय भागीदारी और सरपरस्ती के बिना सम्भव नहीं है. पर्याप्त प्रमाण होने के बावजूद इनके विरुद्ध कारवाई नहीं होना और स्थानीय पुलिस–प्रशासन द्वारा पकड़े जाने के बाद उच्चस्तरीय हस्तक्षेप से इनका छूट जाना गम्भीर मामला है और राज्य सरकार की बदनामी का कारण बन रहा है. इसके कारण राज्य के राजस्व की भारी क्षति हो रही है. इसे लम्बे समय तक नजरअंदाज किया जाना शीर्ष स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, मजबूरी अथवा संलिप्तता का द्योतक है.

राज्य सरकार ने राजस्व संग्रह प्रक्रिया को दक्ष बनाने के लिये "जिम्स" की स्थापना किया है. अब यही सिस्टम सुनियोजित भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रहा है. कहावत है कि "लोग भूत भगाने के लिये सरसों का इस्तेमाल करते हैं, पर यदि सरसों में ही भूत घुस जाये तो क्या होगा?"

आखिर यह कैसे संभव है कि "जिम्स" की ऑनलाइन चालान व्यवस्था से एक या दो दिन बाद का परिवहन चालान बन जाय, स्कूटर, मोपेड, मोटरसाईकिल, कार पर कोयला ढुलाई का परिवहन चालान बन जाय, अवैध चालान पर लम्बे समय तक अवैध परिवहन होता रहे और सरकार के वरीय अधिकारी मूकदर्शक बने रहें. राज्यहित और जनहित में जाँचोपरांत इसपर कार्रवाई होनी चाहिये. इसके दोषियों की शिनाख्तगी और उनपर कठोर कारवाई आवश्यक है.

मेरी जानकारी के मुताबिक "जिम्स" से ऑनलाइन खनिज परिवहन चालान जारी करने की जगह भारी संख्या में ऑफलाईन परिवहन चालान खनन क्षेत्रों में जारी किये जा रहे हैं. उपयोग के बाद इन्हें रद्द दिखा दिया जा रहा है. राज्य सरकार के खान निदेशक और खान सचिव के कार्यालयों को इसकी पुख्ता जानकारी है. इनके पास जारी किये गये ऑफलाईन परिवहन चालानों और रद्द कर दिये गये परिवहन चालानों की प्रतियाँ भी मौजूद हैं. यह सिलसिला विगत दो–तीन वर्षों से बेरोक चल रहा है. "जिम्स" के साफ्टवेयर से एक ही नम्बर के कई चालान एक साथ निकल जाने की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं. ऐसा करना अकेले "जिम्स" के कम्प्यूटर ऑपरेटर के बूते की बात नहीं है. इसमें खान विभाग की उच्चस्तरीय संलिप्तता प्रतीत हो रही है. इस अवधि में खान सचिव और खान निदेशक के पद

Scanned with OKEN Scanner

पर रहे वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिये जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये. इनसे इस बारे में पूछताछ की जानी चाहिये. यह एक सुनियोजित घोटाला है. खनन क्षेत्रों में लगे "जिम्स" केन्द्रों के कम्प्युटरों के "हार्ड डिस्कों" की जाँच साइबर विशेषज्ञों से कराई जाय तो इसका पर्दाफाश हो जायेगा. इन "हार्ड डिस्कों" की स्कैनिंग से सबकुछ सामने आ जायेगा.

आपको स्मरण होगा कि जमशेदपुर और आसपास के इंडक्शन फर्नेसों से बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर राज्य के राजस्व को नुकसान पहुँचाने का मामला मैंने गत वर्ष उठाया था. मेरी लिखित शिकायत पर वरीय पुलिस अधिकारी श्री अनिल पालटा के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाकर जाँच हुई तो कतिपय उद्योगपतियों द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों की मदद से बिजली चोरी का बड़ा घोटाला सामने आया. इसमें संलिप्त बिजली विभाग के अधिकारियों पर कारवाई भी हो रही है. इसी प्रकार "जिम्स" से हो रहे ऑनलाइन–ऑफलाइन परिवहन चालान जारी करने की प्रक्रिया की उच्चस्तरीय "साइबर जाँच" करने के लिये एक विशेष टास्क फोर्स गठित हो जाय तो इस सुनियोजित "खनिज परिवहन घोटाला" का भी पर्दाफाश हो जायेगा.

उपर्युक्त कंडिकाओं में अंकित और समाचार पत्रों में आधिकारिक सूत्रों के हवाले प्रकाशित खबरों के विषयवस्तु की गहन जाँच भी जरूरी है ताकि पता चल सके कि किस स्तर के वरीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ऐसा होने देने और पकड़े जाने पर दोषियों को बचाने में संलग्न हैं. सीसीएल के वरीय अधिकारियों की भी इसमे मिलीभगत से इंकार नही किया जा सकता.

महोदय, "मोपेड, स्कूटर, मोटरसाईकिल, कार आदि वाहनों से कोयला ढुलाई के मामले में चतरा जिला के खान पदाधिकारी द्वारा दायर एफआईआर के बाद जिस तरह का दबाव इस मामले को रफादफा करने के लिये पड़ रहा है वह चिंतनीय है. एक दिन बाद के परिवहन चालान से कोयला ढो रहे करीब डेढ़ दर्जन ट्रकों/डम्परों के बालूमाथ में पकड़े जाने के मामले में संतोषप्रद कार्रवाई नहीं हो रही है.

दागी परिवहनकर्ताओं को राज्य के विभिन्न जिलों से उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मियों के मामले में भी दोषी पदाधिकारियों पर कारवाई नहीं हो रही है.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति लिये बिना अथवा प्राप्त अनुमति का दुरूपयोग कर लातेहार, लोहरदगा जिलों के विभिन्न स्थानों पर रेलवे साइडिंग चलाने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई नहीं हो रही है. इससे सरकार की बदनामी हो रही है और आम जन के मन में शासन के प्रति अविश्वास का वातावरण बन रहा है. यह माजरा केवल कोयला परिवहन क्षेत्र में ही नही बल्कि लौह अयस्क, बॉक्साईट और पत्थर खनन क्षेत्रों में भी है."

अनुरोध है कि विशेष टास्क फोर्स गठित कर इस मामले की जाँच कराने का आदेश देगें अथवा गहन जाँच और कारवाई के लिये यह मामला सीबीआई को सौंप देने पर विचार करेंगे.

भवदीय

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner